☎ 2678078 2572404 2572337
gmail.com

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय 11–मोहिनी रोड, देहरादून

पत्रांक....1084......../अधि0अनु0 --अधि0 नि0कर्म0फी0/2017 दिनांक...11/08/17..

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 618/उन्तीस (1)/2017–(11 अधि0) 2015 पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 30 मई, 2017 के द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम नियमित कर्मचारी (फील्ड) सेवाविनियमावली–2017 का अनुमोदन कर दिये जाने के फलस्वरूप एतद् द्वारा उक्त सेवा विनियमावली उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के अभिलेख/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रख्यापित की जाती है।

ह0/
(भजन सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 निजी सचिव, माननीय मंत्री (पेयजल), उत्तराखण्ड सरकार को माननीय मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2 निजी सचिव, सचिव (पेयजल एव स्वच्छता), उत्तराखण्ड शासन को सचिव (पेयजल एवं स्वच्छता) के संज्ञानार्थ।
3 अपर सचिव (पेयजल एवं स्वच्छता), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4 वैयक्तिक अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
5 मुख्य वैयक्तिक अधिकारी, मुख्य अभियन्ता (मु0), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6 मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल/कुमायूँ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी/हल्द्वानी।
7 मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
8 समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
9 समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
10 प्रधान कार्यालय के समस्त महाप्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता।
11 अध्यक्ष/महामंत्री, जल निगम जल संस्थान मजदूर यूनियन (फील्ड) उत्तरांचल प्रदेश प्रधान कार्यालय, परेड ग्राउण्ड निकट न्यू सर्वे चौक, देहरादून/लाल झण्डा मजदूर यूनियन विजय पार्क, कमला नगर, देहरादून।
12 अधिष्ठान अनुभाग/गार्ड फाईल।

11.8.17
महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)

संख्याः– /उन्तीस (1)/2017–(11 अधि0) 2015

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–1 देहरादून दिनांकः 30 मई, 2017

विषयः–उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम नियमित कर्मचारी (फील्ड) सेवा विनियमावली, 2017 के प्रख्यापन के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक संख्या 738/अधि0अनु0 अधि0 फी0 कर्म0/118, दिनांक 09.11.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम नियमित कर्मचारी (फील्ड) सेवा विनियमावली, 2017 की अनुमोदित प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त विनियमावली के प्रख्यापन की कार्यवाही करते हुए प्रख्यापित विनियमावली की एक प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

महाप्रबन्धक (मुख्यालय)

प्रख्यापन की कार्यवाही करें

10.8.17

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
प्रधान कार्यालय, 11 मोहिनी रोड़, देहरादून
संख्या : 1088/अधि० नि० [illegible]/2017/212
देहरादून : दिनांक: 11-08-2017

अधिसूचना

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 97 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा राज्य सरकार की पूर्वानुमति से उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा नियमित कर्मचारी फील्ड के पदों पर भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं, अर्थात :–

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम नियमित कर्मचारी (फील्ड) सेवा विनियमावली, 2017

भाग–1 सामान्य

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

1.(1) इस विनियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम नियमित कर्मचारी (फील्ड) सेवा विनियमावली, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह विनियमावली नियमित कर्मचारी (फील्ड), जो उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त हो या नियुक्त किये जायें पर लागू होगी।

परिभाषाएं

2. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस विनियमावली में :–

(क) **'विभाग'** से उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम जिसे यहां आगे उत्तराखण्ड पेयजल निगम कहा गया है, अभिप्रेत है;

(ख) **'अध्यक्ष'** से उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) **'प्रबन्ध निदेशक'** से उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के प्रधान कार्यालय में स्थित प्रबन्ध निदेशक का कार्यालय अभिप्रेत है;

(घ) **'प्रधान कार्यालय'** से उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के प्रबन्ध निदेशक का कार्यालय अभिप्रेत है;

(ड.) **'मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)'** से उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के प्रधान कार्यालय में स्थित मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) का कार्यालय अभिप्रेत है;

(च) **'मुख्य महाप्रबन्धक कार्यालय'** से निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के मुख्य महाप्रबन्धक का कार्यालय अभिप्रेत है;

(छ) **'मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय)'** से उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के क्षेत्रीय कार्यालय में गढ़वाल/कुमायूँ स्थित मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय) का कार्यालय अभिप्रेत है,

(ज) **'मण्डल कार्यालय'** से उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक का कार्यालय अभिप्रेत है,

(झ) **'शाखा कार्यालय'** से उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक का कार्यालय अभिप्रेत है,

(ट) **'भारत के नागरिक'** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग 2 के अधीन भारत का नागरिक समझा जाए

(ठ) **संविधान'** से "भारत के संविधान" अभिप्रेत है;

(ड) **'विभागीय अभ्यर्थी'** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी पद पर भर्ती के समय जिसके लिये वह अभ्यर्थी है, उत्तराखण्ड पेयजल निगम में समान वेतनमान या उससे कम वेतनमान के पद पर पहले से ही नियुक्त हो;

(ढ) **'नियमित नियुक्ति'** से ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो कि इस विनियमावली के पश्चात अथवा इस विनियमावली से पूर्व विधिक उपबन्धों के अधीन किसी प्रकार की रिक्ति के प्रति की गयी हो,

(ण) **'रिक्तियों की संख्या'** से भर्ती के वर्ष में उपलब्ध स्थाई तथा अस्थाई रिक्तियों की कुल संख्या अभिप्रेत है;

(त) **'निगम'** से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अधीन स्थापित उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम अभिप्रेत है;

भाग–2 : संवर्ग

सेवा का संवर्ग

3. सेवा में कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर निगम द्वारा राज्य सरकार की पूर्वानुमति से अवधारित की जाय।

भर्ती का स्रोत

4. (1) नियमित कर्मचारी (फील्ड) संवर्ग को मृत संवर्ग घोषित किए जाने के फलस्वरूप इस संवर्ग में मृतक आश्रित भर्ती के सिवाय सीधी भर्ती नहीं की जायेगी।

(2) अनुलग्नक 'क' एवं विनियम 12 में दी गयी व्यवस्थानुसार पदोन्नति द्वारा पद भरे जायेंगे।

भाग –3 अर्हतायें

आयु

5. उत्तराखण्ड पेयजल निगम की सेवाओं में भर्ती/पुनर्नियुक्ति के लिए भर्ती के वर्ष के ठीक पूर्व 01 जनवरी को 18 वर्ष की आयु किन्तु 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा ऐसी होगी, जैसा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए।

चरित्र

6. (1) नियुक्ति प्राधिकारी अपना समाधान कर लेगा कि नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का चरित्र इस प्रकार का है कि उसके कारण वह उत्तराखण्ड पेयजल निगम की सेवाओं में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो।

(2) नियुक्ति के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जहाँ से अन्तिम शैक्षिक योग्यता प्राप्त की हो का प्रमाण पत्र एवं दो राजपत्रित अधिकारियों (जो अभ्यर्थी के सम्बन्धी न हो) के चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा।

शारीरिक स्वास्थ्य

7. उत्तराखण्ड पेयजल निगम की सेवाओं में किसी पद पर मौलिक रूप से किसी व्यक्ति को तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ्य न हो। अभ्यर्थी के लिये अनिवार्य होगा कि वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी से शारीरिक स्वास्थ्य हेतु एक चिकित्सीय प्रमाण पत्र स्वयं के वहन पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा।

शैक्षिक अर्हताएं

8. सेवा में विभिन्न पदों के लिए शैक्षिक योग्यता इस विनियमावली के अनुलग्नक–'क' के स्तम्भ–4 के अनुसार होंगी।

वैवाहिक प्रास्थिति

9. कोई पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, उत्तराखण्ड पेयजल निगम की सेवा में भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा।

भाग–4 भर्ती की प्रक्रिया

आकस्मिक मृत्यु पर आश्रितों की नियुक्ति

10. प्रधान कार्यालय की स्वीकृति के उपरान्त उत्तराखण्ड पेयजल निगम के विभिन्न कार्यालयों में नियमित कर्मचारी (फील्ड) के विभिन्न पदों पर मृतक कर्मचारी आश्रित के रूप में नियुक्ति सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर–2 द्वारा की जायेगी।

भाग –5 पदोन्नति

पदोन्नति

11. (1) प्रधान कार्यालय द्वारा समस्त नियमित कर्मचारी (फील्ड) की वरिष्ठता सूची तैयार की जायेगी। सेवा में नियमित कर्मचारी (फील्ड) के सभी पदों पर पदोन्नति हेतु एक चयन समिति का गठन विभागाध्यक्ष द्वारा निम्नानुसार किया जायेगा :–

(एक) मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) देहरादून	– अध्यक्ष
(दो) महाप्रबन्धक (भूजल / सर्वेक्षण) देहरादून	– सदस्य
(तीन) महाप्रबन्धक (प्रशासन) देहरादून	– सदस्य
(चार) अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक) देहरादून	– सदस्य सचिव
(पांच) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जति / अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी	– सदस्य

(2) प्रधान कार्यालय पात्र अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और पदोन्नति हेतु विचाराधीन कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं एवं उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों, जो उचित समझे जायें के साथ चयन समिति के समक्ष प्रोन्नति पर विचार हेतु रखेगा।

(3) चयन समिति रिक्तियों की संख्या की सीमा तक चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे अनुमोदन हेतु विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे।

भाग –6 नियुक्ति, परिवीक्षा और ज्येष्ठता

नियुक्ति

12. (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे विनियम 12 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा।

(2)यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी चयन में अवधारित की जाय।

परिवीक्षा

13. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय:

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढाई जायगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसकी सेवाएं उप नियम (3) के अधीन समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

ज्येष्ठता

14. पेयजल निगम के नियमित कर्मचारी (फील्ड) के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जाएगी।

भाग –8 वेतन आदि

वेतनमान

15. (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।
(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट 'क' में दिए गए हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

16. मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबंध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो;

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

भाग –9 अन्य विनियमन

पक्ष समर्थन

17. सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों, चाहे मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

18. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस विनियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

सेवा शर्तो का शिथिलीकरण

19. जहाँ निगम का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, राज्य सरकार की पूर्वानुमति से अवमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

20. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये सरकार के आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

भाग –10 सेवानिवृत्त होने की आयु

अन्य उपबन्ध

21 (1) नियमित कर्मचारी (फील्ड) के विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु ऐसी होगी जैसी समय–समय पर सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नियत की जाये।

(2) समय–समय पर निगम कर्मचारियों हेतु निर्गत होने वाले शासनादेश/निगम आदेश अन्य संवर्गीय कार्मिकों की भाँति ही नियमित कर्मचारी (फील्ड) के पदों पर कार्यरत कार्मिकों पर भी लागू होंगे।

(भजन सिंह)
प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम,
देहरादून

अनुलग्नक–'क'

नियमित कर्मचारी (फील्ड) के पदवार वेतनमान, शैक्षिक योग्यता एवं पदोन्नति हेतु अर्हता

क्र0सं0	पदनाम	नया वेतनमान	शैक्षिक अर्हता	पदोन्नति प्रक्रिया
01	02	03	04	05
01	स्तर–1	5200–20200 ग्रेड पे0 2800		
	हैड ड्रिलर		आई0टी0आई	योग्यता धारक ऐसे आई0टी0आई0 ड्रिलर, सहायक ड्रिलर, कम्प्रेशर चालक एवं ओ0पी0 यूनिट, आदि में से जिन्हें मशीनों के संतोषजनक संचालन का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो अथवा ड्रिलर के पद पर किये गये कार्यों एवं रिंग मशीन के संचालन का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
02	स्तर–2	5200–20200 ग्रेड पे0 1900		
	ड्रिलर		आई0टी0आई	स्तर–3 में उल्लिखित ऐसे पदधारकों जो सम्बन्धित पद की शैक्षिक/तकनीकी योग्यता रखते हो तथा जो निरन्तर 07 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हों, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
	स्पेशल वैल्डर		आई0टी0आई	
	वर्क सुपरवाईजर		हाई स्कूल	
	ड्राइवर		हाई स्कूल	
	हैड इलैक्ट्रिशियन		आई0टी0आई	
	पाइप लाइन मिस्त्री		आई0टी0आई	
	टैक्स कलैक्टर		हाई स्कूल	
03	स्तर–3	5200–20200 ग्रेड पे0 1800		
	पाइप लाइन इन्स्पेक्टर		हाई स्कूल	स्तर–4 में उल्लिखित ऐसे पदधारकों जो सम्बन्धित पद की शैक्षिक/तकनीकी योग्यता रखते हो तथा निरन्तर 08 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हों, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
	पम्प चालक ग्रेड–1		आई0टी0आई	
	वैल्डर		आई0टी0आई	
	इलैक्ट्रिशियन		आई0टी0आई	
	वर्क एजेन्ट		हाई स्कूल	
	डीजल मैकेनिक		आई0टी0आई	
	मैकेनिक		आई0टी0आई	
	फिटर		आई0टी0आई	
	फिल्टर ऑपरेटर		आई0टी0आई	
	वैल प्वाइन्ट ऑपरेटर		आई0टी0आई	
	स्टोर मुंशी		हाई स्कूल	
	सहायक ड्रिलर		आई0टी0आई	
	कम्प्रेशर चालक		आई0टी0आई	
	लाइन मैन		आई0टी0आई	
	ओ0पी0 यूनिट ड्राइवर		आई0टी0आई	
04	स्तर–4	5200–20200 ग्रेड पे0 1800		
	पम्प चालक ग्रेड–2		आई0टी0आई	स्तर–5 में उल्लिखित ऐसे पदधारकों जो सम्बन्धित पद की शैक्षिक/तकनीकी योग्यता रखते हो तथा निरन्तर [illegible] वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हों, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
	मीटर रीडर		हाई स्कूल	
	वर्क मुंशी		कक्षा पाँच पास	
	सर्वे मुंशी		कक्षा पाँच पास	
	जूनियर मैकेनिक		आई0टी0आई	
	जूनियर फीटर		आई0टी0आई	
	मे[illegible]		कक्षा पाँच पास	

05	स्तर–5	5200–20200 ग्रेड पे0 1800		मृत संवर्ग होने के कारण नियुक्ति नहीं की जानी है।
	बेलदार		कक्षा पाँच पास	
	चौकीदार		कक्षा पाँच पास	
	हेल्पर		कक्षा पाँच पास	
	ट्रक क्लीनर		कक्षा पाँच पास	
	स्वच्छकार		कक्षा पाँच पास	
	माली		कक्षा पाँच पास	
	रनर		कक्षा पाँच पास	
	पेट्रोल मैन		कक्षा पाँच पास	
	लैब अटैण्डेन्ट		इण्टरमीडिएट	

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "**the Constitution of India**", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of

Notification No. /Dehradun:Dated : for general information

The Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikas Evam Nirman Nigam

Head Office: 11 Mohini Road, Dehradun No: 1088/2017

Dehradun : dated: January 2017

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by clause (c) of sub-section (1) and sub-section (2) of section-97 of the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975) Adaptation and Modification Order, 2002, with prior approval of the State Government, the Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikas Evam Nirman Nigam makes the following regulation the recruitment to the posts of regular employees field and their service conditions.

The Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikas Evam Nirman Nigam Regular Employee (Field) Service Rules, 2017

PART-1 GENERAL

Short title, Commencement& Extent

1. **(1)** These rules may be called the Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikas Evam Nirman Nigam.Regular Employee (Field) Service Rules, 2017.

   (2) It shall come into force at once.

   (3) These rules shall apply to the regular employees (field) appointed or to be appointed to the Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikas Evam Nirman Nigam and its subordinate offices.

Definitions

2. In these rules unless anything is repugnant to the subject or context:

   (a) "Department" means the Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikas Evam Nirman Nigam, hereinafter referred as Uttarakhand Peyjal Nigam.

   (b) "Chairman" means the Chairman of Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikas Evam Nirman Nigam.

(c) "Managing Director" means the Managing Director of Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikas Evam Nirman Nigam.

(d) "Head Office" means the office of the Managing Director of Uttarakhand Peyjal SansadhanVikasEvamNirman Nigam.

(e) "Chief Engineer (Head Quarter)" means office of the Chief Engineer (Head Quarter) situated in the head office of Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikas Evam Nirman Nigam.

(f) "Office of the Chief General Manager" means office of the Chief General Manager of Construction Wing, Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikas Evam Nirman Nigam.

(g) "Chief Engineer (Regional)" means the office of Chief Engineer (Regional) situated in Garhwal/Kumaon in regional office of Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikas Evam Nirman Nigam.

(h) "Divisional Office" means the office of the Superintending Engineer/General Manager of Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikas Evam Nirman Nigam.

(i) "Branch Office" means the office of the Executive Engineer/Project manager of Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikas Evam Nirman Nigam.

(j) "Citizen of India" means a person deemed to be the citizen of India under Part-2 of the Constitution.

(k) "Constitution" means the constitution of India.

(l) "Departmental Candidate" means a person who is already appointed in equivalent pay scale or a pay scale lower to it in Uttarakhand Payjal Nigam to a post at the time of recruitment for which he is a candidate.

(m) "Regular Appointment" means an appointment made against a vacant post under the legal provision of rules made prior to or after these rules.

(n) "Number of vacancies" means the aggregate of permanent and temporary vacancies available during the year of recruitment.

(o) "Nigam" means the Uttarakhand Peyjal Sansdhan Vikas Evam Nirman Nigam established under the Uttarakhand (Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975) Adaptation and Modification order, 2002.

PART-2 CADRE

Cadre of Service:

3. The cadre of service and of each category of post therein shall be such as determined by the Nigam from time to time with prior approval of the State Government.

Source of Recruitment

4. (1) Due to the regular employee (field) being declared a dead cadre, no direct recruitment shall be made to this cadre except the recruitment of dependents of deceased.

(2) The posts shall be filled according to the provision of enclosure 'A' and regulation-12

PART-3 QUALIFICATIONS

Age

5. For recruitment/reappointment to the services of Uttarakhand Peyjal Nigam the candidate must have attained the age of 18 years but must not have attained the age of 42 years on 01 January of the year immediately preceding the year of recruitment.
Provided that-
For the candidates belonging to Schedule castes, Schedule tribes and Other Backward Class to the state of Uttarakhand the maximum age limit shall be as determined from time to time by the State Government.

Character

6. (1) The Appointing Authority shall satisfy itself that the character of a candidate for appointment must be such as to render him suitable in all respects for employment to the services of Uttarakhand Peyjal Nigam.

(2) For appointment each candidate shall be required to submit a certificate of educational qualifications from the institute from where he has last received his education and a character certificate from two gazetted officers (not related to him).

Physical Fitness

7. No candidate shall be appointed to a post in the service of Uttarakhand Peyjal Nigam unless he be in good mental and bodily health. The candidate shall be required to produce a medical certificate of fitness from Chief Medical Officer on his own expenses.

Academic Qualifications:

8. The academic qualifications for various posts in the service shall be according to column-4 of the enclosure 'A' of these regulation.

Marital Status:

9. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to any post in the service of Uttarakhand Peyjal Nigam.

PART-4 PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Appointment of dependents on casual death of employee

10. After permission of the head office, the appointment as deceased dependent to the various posts of regular employee (field) in various offices of the Uttarakhand Peyjal Nigam shall be made by the concerning Chief Engineer, level-2 .

PART-5 PROMOTION

Promotion

11. (1) The head office shall prepare a seniority list of all regular employees (field). For promotion to all posts of regular employees (field) a selection committee shall be constituted by the head of department as follows:-

(i) Chief Engineer (Head Quarter) Dehradun ....Chairman

(ii) General Manager (Ground water/survey) Dehradun ....member

(iii) General Manager, Administration, Dehradun Uttarakhand Peyjal Sansadhan vikas evam Nirman Nigam...............................member

(iv) Executive Engineer (Karmik) Dehradun ....member

(v) An officer belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes the named by Chairman ....member

(2) The head office shall prepare an eligibility list in order of seniority of the eligible candidates and place the same before the selection committee to be considered for promotion along with the character rolls and such other records of employees as may be considered proper.

(3) The selection committee shall prepare a list of selected candidates to the extent of vacancies in order of seniority and shall forward same to the head of department for approval.

PART-6 APPOINTMENT, PROBATION AND SENIORITY

Appointment:

12. **(1)** The Appointment Authority shall make appointment by taking names of the candidates in the order in which they stand in the lists prepared under regulation 12.

(2) If more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued mentioning the names of persons in order of seniority as determined in the selection.

Probation:

13. **(1)** A person on appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The Appointment Authority may for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted.

Provided that same in exceptional circumstances the period of probation shall not be extended beyond one year and in no case for more than two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of probation that a probationer has not made sufficient use of the opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, his services may dispensed with.

(4) A probationer whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

Seniority:

14. The seniority of persons appointed substantively to the posts of regular employee (field) of Peyjal Nigam shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servant Seniority Rules, 2002 as amended from time to time.

PART – 8 PAY ETC.

Scale of Pay:

15. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to any post in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scale of pay at the time of the government of those Rules are given as enclosure 'A'.

Pay during Probation:

16. Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation if he is not already in permanent government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, and the second increment after two years' service when he has completed the probationary period and is also confirmed;

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

PART – 9 OTHER REGULATIONS

Canvassing:

17. No recommendations either written or oral other than those required under the rule applicable to the post or service shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature shall disqualify him for appointment.

Regulation of other matters:

18. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, person appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from conditions of service:

19. Where the Nigam is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the services causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispensed with or relax the requirements of that rule with prior permission of the State Government to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Savings:

20. Nothing in these rules shall affect the reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

PART – 10 AGE OF RETIREMENT

Other Provisions

21.(1) The age of retirement of employees working on different posts of regular employees (field) shall be as determined from time to time by the Government in respect of Government servants.

(2) The Government Orders/Nigam Orders issued from time to time for employees of the Nigam shall apply to the employees working on over the posts regular employee (field) like the employees of other cadres.

(Bhajan Singh)
Managing Director,
Uttarakhand Peyjal Sansadhan,
Vikas evam Nirman Nigam,
Dehradun

ENCLOSURE – 'A'

Post-wise Pay scale, Academic Qualifications and Qualifications for Promotion of Regular Employee (Field)

S.No.	Designation	New Pay scale	Academic Qualifications	Procedure for Promotion
01	02	03	04	05
01	**Level – 1**	**5200 – 20200 Grade pay 2800**		
	Head Driller		I.T.I.	For promotion to the post of Head Driller the candidate must have passed I.T.I. and must have minimum 10 years' working experience as Driller, Assistant Driller, Compressor operator and of operating O.P. unit machines etc. and 10 years' experience of working over the post of Driller and operating Ring machine. Accordingly the proposal is to be recommended to the selection committee.
02	Level-2	5200 – 20200 Grade pay 1900		
	Driller		I.T.I.	By promotion on the basis of seniority by rejecting the unfit from amongst the post holders mentioned in level-3 having academic/technical qualifications for the respective post who have completed 07 years' satisfactory regular service.
	Special Welder		I.T.I.	
	Work Supervisor		High School	
	Driver		High School	
	Head Electricial		I.T.I.	
	Pipe line Mistry		I.T.I.	
	Tax collector		High School	
03	Level – 3	5200 – 20200 Grade pay 1800		
	Pipe line Inspector		High School	By promotion on the basis of seniority by rejecting the unfit from amongst the post holders mentioned in level-4 having academic/technical qualifications for the respective post who have completed 08 years' satisfactory regular service.
	Pump Operator grade-I	5200-20200 Grade pay 1900	I.T.I.	
	Welder		I.T.I.	
	Electrician		I.T.I.	
	Work Agent		High School	
	Diesel Mechanic		I.T.I.	

	Mechanic		I.T.I.	
	Fitter		I.T.I.	
	Filter Operator		I.T.I.	
	Well point operator		I.T.I.	
	Store Munshi		I.T.I.	
	Assistant Driller		I.T.I.	
	Compressor Operator		I.T.I.	
	Line man		I.T.I.	
	O.P. Unit driver		I.T.I.	
	Level -4	5200 20200 Grade Pay 1800		By promotion on the basis of seniority by rejecting the unfit from amongst the post holders mentioned in level-5 having academic/technical qualifications for the respective post who have completed 10 years' satisfactory regular service.
	Pump Operator Grade-II		I.T.I	
	Meter Reader		High School	
	Work Munshi		Class V pass	
	Survey Munshi		Class V pass	
	Junior Mechanic		I.T.I	
	Junior Fitter		I.T.I	
	Mate		Class V pass	
	Level -5	5200-20200 Grade pay 1800		
	Beldar		Class V pass	
	Chawkidar		Class V pass	
	Helper		Class V pass	
	Truck Cleaner		Class V pass	
	Swachhkar		Class V pass	
	Mali		Class V pass	
	Runner		Class V pass	
	Petrolman		Class V pass	
	Lab attendant		Intermediate	